रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 10, 1972/श्रावण 19, 1894

No. 205] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 10, 1972 SRAVANA 19, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August 1972

G.S.R. 372(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

C.O. 95

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) FOURTH AMENDMENT ORDER, 1972

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Fourth Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, in sub-paragraph (22) (relating to the SEVENTH SCHEDULE),—

(i) in sub-clause (ii) of clause (a), the words and figures 'the words "and records" in entry 67' shall be omitted;

(ii) in clause (c), for sub-clause (iii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

'(iii) entry 3, entries 5 to 10 (both inclusive), entries 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 and 44 shall be omitted;

(iii-a) for entry 42, the entry "42. Acquisition and requisitioning of property, so far as regards acquisition of any property covered by entry 67 of List I or entry 40 of List III or of any human work of art which has artistic or aesthetic value." shall be substituted; and'.

V. V. GIRI,
President.

[No. F.19(8)/72-LI.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त 1972

जी० एस० आर० 372(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

सं० आ० 95

संविधान (जम्मू-काश्मीर को लागू होना) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1972

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-काश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से, अपने समाद से, निम्नलिखित आदेश करते हैं :—

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू-काश्मीर को लागू होना) चतुर्थ संशोधन आदेश, 1972 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. संविधान (जम्मू-काश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में, उपैरा (22) (सप्तम अनुसूची से संबंधित) के नीचे, —

(i) खण्ड (क) के उपखंड (ii) में 'प्रविष्टि 67 में 'और अभिलेख" शब्द' और अंक लुप्त किए जाएंगे

(ii) खण्ड (ग) में, उप-खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(iii) प्रविष्टि 3, प्रविष्टियाँ 5 से 10 तक (दोनों को सम्मिलित कर के), प्रविष्टियाँ 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 और 44 लुप्त की जाएंगी ;

(iii-क) प्रविष्टि 42 के स्थान पर, 42 "सम्पत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, जहां तक उनका संबंध सूची 1 की प्रविष्टि 67 या सूची iii की प्रविष्टि 40 के अधीन आने वाली किसी सम्पत्ति या, कलापूर्ण या सौंदर्य-परक मूल्य की मानवीय कलाकृति के अर्जन से है।" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी; और"।

व० वे० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० फा० 19(8)/72-एल आई]
के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972